न्यायालय विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1, गाजीपुर
उपस्थितः शक्ति सिंह–I (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP6352
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1180/2026
CNR No. UPGH01002750–2026

रविकान्त कुमार उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र त्रिलोकी प्रसाद, निवासी–बैदवली माफी (कोड़री), थाना मरदह, जनपद गाजीपुर।

––––––––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) गाजीपुर।
2– प्रभारी थानाध्यक्ष डॉ० सत्येन्द्र कुमार यादव, थाना बिरनों, जनपद–गाजीपुर।

–––––––––––––––विपक्षीगण

मु०अ०सं०–109/2026
धारा–8/21, 27 ए, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना– बिरनों, जनपद–गाजीपुर

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक/अभियुक्त रविकान्त कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–109/2026 अन्तर्गत धारा–8/21, 27 ए, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना–बिरनों, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–30.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 29.05.2026 को मैं प्रभारी थाना डा० सतेन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ०नि० सुनील कुमार शुक्ला, का० अभिनव पाण्डेय, का० विकाश द्विवेदी, का० दीपक चौहान, का० सक्षम मिश्रा, का० रामकृष्ण, मय चालक हे०का० धर्मेन्द्र तिवारी वाहन संख्या– UP61G0396 टाटा सोमो के थाने से देखभाल क्षेत्र चेकिंग रात्रि गस्त संदिग्ध व्यक्ति अपराधी में थाने से बाहवाले रपट न० 61 समय 22.41 बजे रवाना होकर भड़सर कस्बा पहुंचे, जहां पर AcSTF के का० राजा गौड़, का० प्रशांत कुमार, का० सोनू यादव, व साहुल गुप्ता मिले कि हम लोग उनके भी साथ लेकर कस्बा सियारामपुर चट्टी पर सदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि भवरहा की तरफ से आने वाली नहर पर कुछ अपराधी आने वाले है यदि शीघ्रता कि जाए तो पकडे जा सकते है। इस सूचना पर विश्वाश कर हम पुलिस वाले मय मुखबिर के आपस मे एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नही है तथा आसनायराह से गवाहन फराहाम करने की कोशिश किया तो भलाई बुराई के कारण कोई भी जनता का व्यक्ति गवाही को तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये कि हम पुलिस वाले सियारामपुर बाजार से चल कर मीरपुर नहर से 250 मीटर पहले गाड़ी व चालक को छोड़कर मुनासिब हिदायत कर लुक छिप कर पैदल

पैदल नहर पटरी पर पहुच कर बदमाशो के आने का इन्तजार करने लगे कि कुछ देर बाद भवरहा कि तरफ से दो मोटर साईकिल आती हुयी दिखाई दी जिसे देखकर मुखबिर ने बताया कि यही बदमाश है और वहां से चला गया कि पास आने पर मोटरसाईकिलो को हमराही कि मदद से रोका गया, तो मोटरसाईकिल HF डीलक्स वाहन संख्या UP61BF1433 पर चालक किशन विश्वकर्मा पुत्र संजय विश्वकर्मा निवासी अरसदपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर व बीच में बैठा मनीष कुमार उर्फ छोटू पुत्र प्रमोद राम निवासी सरायवन्दी थाना बिरनो जनपद गाजीपुर तथा पीछे बैठा शुभम कुमार ठठेरा पुत्र श्रवण ठठेरा निवासी वार्ड न0 11 जंगीपुर जनपद गाजीपुर व दूसरी मोटर साईकिल हिरो स्पेलेन्डर प्लस UP54BC7323, जिस पर चालक रविकान्त कुमार पुत्र त्रिलोकी प्रसाद, निवासी बैदौली माफी (कोडरी) थाना मरदह जनपद गाजीपुर बीच में बैठा अमन यादव उर्फ मलाई पुत्र रमेश यादव निवासी पिपनार थाना मरदह जनपद गाजीपुर व पीछे मंजीत यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी कोडरी थाना मरदह जनपद गाजीपुर बैठे मिले, जिनसे सुनसान स्थान व नवक्त के समय जाने के सम्बन्ध में पूछा गया तो सभी लोगों ने बारी–बारी व एक साथ पूछने पर गलती की माफी मांगते हुए बताया कि साहब हम लोगो के पास हीरोइन पदार्थ है, इसीलिए चोरी छिपे सुनसान रास्ते से जा रहे थे। चूंकि सूचना मादक द्रव्य पदार्थ से सम्बन्धित है इस पर मुझ थाना प्रभारी द्वारा सभी लोगो को बताया गया कि यदि तुम लोगो के पास हीरोईन पदार्थ है, तो तुम लोग अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी को चल कर दो ये तुम्हारा अधिकार है और मुझ थाना प्रभारी द्वारा अपने सीयूजी नम्बर 94544XXXXX से श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय कासिमाबाद के सीयूजी नम्बर 94544XXXXX से समय 1.24 बजे 19 सेकेण्ड वार्ता कर बताया गया तो श्रीमान जी द्वारा बताया गया कि मैं आ रहा हूँ तथा श्रीमान उपजिलामजिस्ट्रेट महोदय सदर से उनके सीयूजी न०– 94544XXXXX से 1.30 बजे काल किया 15 सेकेण्ड तक लेकिन सम्पर्क नहीं हो सका। समय 2.00 बजे रात्रि श्री अनुभव राजर्षि क्षेत्राधिकारी महोदय कासिमाबाद मौके पर आ गये, जिनके द्वारा बारी–बारी क्रमशः अभियुक्त किशन विश्वकर्मा मनीष कुमार, शुभम कुमार, रवि कान्त कुमार, मंजीत यादव व अमन यादव उर्फ मलाई कि जामातलाशी ली गयी, तो सभी अभियुक्तो द्वारा क्रमशः पहने पैन्ट की दाहिने जेब से एक पालीथीन के अन्दर सफेद पदार्थ भरा हुआ निकला, जिसे अभियुक्तगणो द्वारा हीरोईन पदार्थ का होना बताया पैकटो खोलकर सूघने पर हीरोइन की गंध तीव्र रुप से आ रही है, जिसे मौके पर इलेक्ट्रानिक तराजू से तौला गया, तो अभियुक्त मनीष कुमार उर्फ छोटू के पास से 70 ग्राम हीरोईन व एक अदद मोबाईल ओप्पो K10 व ओप्पो A54, शुभम कुमार के पास से 70 ग्राम व एक अदद मोबाईल समसंग A14, अमन यादव उर्फ मलाई के पास से 50 ग्राम हीरोईन व लावा कीपैड मोबाईल व विवो वी40 प्रो, किशन विश्वकर्मा के पास से 50 ग्राम हीरोईन व एक अदद मोबाईल समसंग गैलेक्सी A26, रविकान्त कुमार के पास से 50 ग्राम हीरोईन एक अदद मोबाईल रेडमी 9A व अभियुक्त मंजीत यादव के पास से 60 ग्राम हीरोईन व एक अदद मोबाईल रियलमी X

व रेडमी 464, पदार्थ बरामद हुआ। अभियुक्तगणों से सामूहिक व अलग अलग हीरोईन पदार्थ के सम्बन्ध में पूछा गया, तो सभी ने अलग–अलग व एक साथ बताया कि साहब यह हीरोईन पदार्थ हम लोगो को इन्द्रजीत विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा, निवासी ग्राम अरसदपुर, थाना जंगीपुर, जनपद गाजीपुर व सोनू राम पुत्र नमालुम निवासी ग्राम विजापतपुर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर विशाल राम पुत्र नमालुम निवासी ग्राम कोडरी लहुरापुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर ने दिया था और कहा था कि तुम सभी लोग इसे ले जाओ और महगे दामों में बेच देना, जो लाभ मिलेगा उसे बराबर बाट लेंगे, इन्ही तीनों के कहने पर हम लोगों ने इस हीरोईन को लेकर चोरी छिपे जाकर बेच देते साहब गलती हो गयी माफ कर दीजिए। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा समूहिक रुप से मादक पदार्थ (हीरोईन) का व्यापार करना, एक दूसरे को दुष्प्रेरित कर लाभ कमाना धारा 8/21/27A/29 NDPS Act का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बता कर बजाप्ता बकायदा आज दिनांक 30.05.2026 की रात्रि 2.32 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद माल को उसी पालीथीन में रखकर पारदर्शी डिब्बे में सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर अलग अलग बनाया जा रहा है गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया दौराने गिरफ्तारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अक्षरः पालन किया गया गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगणों के परिजनो को जरिये दूरभाष अकब से दी जा रही है। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में मुझ थाना प्रभारी द्वारा बोल–बोलकर का0 रामकृष्ण से लिखवाकर पढ़ कर सुनाकर हस्ताक्षर हमराही कर्मचारीगण व अलामात अभियुक्तगणों के बनवाये जा रहे है।

3– आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में अभिकथित है कि अभियुक्त आवेदक सर्वदा निर्दोष है, कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के पास से कोई बरामदगी भी हिरोईन की नही हुई है, पुलिस से दुश्मनी के कारण पुलिस थाना अध्यक्ष बिरनो ने आवेदक को घर से उठाकर ले आकर उपरोक्त अपराध मे चालान कर दिया है तथा आवेदक जो बी०ए० द्वितीय वर्ष का परीक्षा दिया है और मेधावी छात्र है, आवेदक के भविष्य को खराब करने के लिए अपराध मे चालान किया गया है। फर्द बरामदगी पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है, मात्र पुलिस के लोगों के ही हस्ताक्षर है जो कानून की मंशा के विपरीत होने के कारण सारी कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है। यह बहुत ही हास्यास्पद है कि पुलिस ने सभी अभियुक्तगण के पैंट के दाहिने से बरामदगी होना दर्शित किया है तथा सभी को पैंट पहने ही दिखाया है, जबकि कुछ अभियुक्तगण लोवर भी पहने हुए थे। इसके अतिरिक्त टार्च की रोशनी में फर्द का लिखा जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा मुखबिरी मेमो भी तैयार नही किया गया है, जो कानून की मंशा के विपरीत है। पुलिस ने फर्द बरामदगी में इलेक्ट्रानिक तराजू से तौलना दिखाया है, यह इलेक्ट्रानिक तराजू कहां से लायी गयी है, इसका कोई उल्लेख नही है अथवा यह भी उल्लेख नही है कि पुलिस अपने साथ इलेक्ट्रानिक मशीन भी ले गयी थी क्या? इसके अलावा फर्द बरामदगी प्रथम सूचना रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज की गयी है, जबकि थाना मात्र

घटनास्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आवेदक के पास से बरामद शुदा हेरोईन 50 ग्राम दर्शित की गयी है, जो लघु मात्रा से उपर तथा वाणिज्यिक मात्रा से बहुत ही न्युनतम मात्रा है, तथा बरामदगी के समय धारा 50 व 51, 52 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्राविधानो का उल्लंघन किया गया है और पुलिस टीम ने अपने जामा तलाशी क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के समक्ष नही दिया है जिससे सम्पूर्ण कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है। आवेदक के जमानत पर रहने से गवाहान साक्षी को तोड़ने की कोई गुंजाईश नही है क्योकि वादी व साक्षी सभी पुलिस के लोग ही है। आवेदक जमानत की शर्तों को मानने के लिए तैयार है और अपनी जमानत देने के लिए तैयार है। उपरोक्त आधारो पर अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्त हेरोईन सप्लाई करने वाले गिरोह का सदस्य है तथा अपने गिरोह के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में हेरोईन सप्लाई करने का कार्य करता है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना किया गया।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त रविकान्त कुमार के कब्जे से पुलिस द्वारा 50 ग्राम नाजायज हेरोईन बरामद होना बताया गया है। प्रश्नगत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–27 ए एन०डी०पी०एस० एक्ट का अपराध अभिकथित किया गया है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय को धारा–37 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है।

> **37. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, –**
>
> **(क).** इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;
>
> **(ख).** धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दण्डनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी नियुक्त किया जाएगा जब–
> (i). लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और
> **(ii). जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का या समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।**

7– उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह समाधान हो सके कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

8– अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता एवं बरामदशुदा अवैध की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं पाया जाता है। तदनुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रविकान्त कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–10.06.2026

(शक्ति सिंह–I)
विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1,
गाजीपुर

Digitally signed by SHAKTI SINGH
Date: 2026.06.10 14:36:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court